नगर निगम लखनऊ

पत्रांक : .... दिनांक : ....

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा 213 (ख) के अंतर्गत नगर निगम कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के लिए प्रक्रिया एवं शुल्क निर्धारित किए जाने हेतु **'लखनऊ नगर निगम (नाम परिवर्तन प्रक्रिया व शुल्क का निर्धारण) उपविधि 2025'** का आलेख तैयार कर धारा 542 के अंतर्गत मा. सदन की बैठक 09.09.2025 में प्रस्तुत किया गया। मा. सदन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त उपविधि 2025 पर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में यदि कोई आपत्तियां हो तो, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर नगर आयुक्त को सम्बोधित करते हुए मुख्यालय नगर निगम तथा कार्यालय मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम लखनऊ, लालबाग में प्राप्त करायी जा सकती है। निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त करायी गई आपत्तियों पर नगर निगम द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। उक्त उपविधि 2025 की मुद्रित प्रति मुख्य कर निर्धारण कार्यालय तथा समस्त जोनल कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। साथ ही नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

(गौरव कुमार)
नगर आयुक्त

नगर निगम लखनऊ

मा. नगर निगम सदन के विचारार्थ प्रस्ताव

नगर निगम लखनऊ के गृहकर के माँग रजिस्टर में दर्ज भवन/भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाने, पंजीकृत विक्रय नामा, वसीयत, दान पत्र, हिब्बा तथा मा. न्यायालय के आदेश इत्यादि के फलस्वरूप उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 213 (ख) के अंतर्गत कार्यवाही कर नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है। मा. नगर निगम लखनऊ की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 13.09.2024 में पारित संकल्प संख्या 188 के क्रम में नाम परिवर्तन की कार्यवाही तथा शुल्क को निर्धारित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 540, 541 के अंतर्गत **'लखनऊ नगर निगम (नाम परिवर्तन प्रक्रिया व शुल्क का निर्धारण) उपविधि 2024'** का आलेख प्रस्तावित किया गया था।

इसी अवधि में प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन, नगर विकास विभाग, अनुभाग–9, लखनऊ के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 925/नौ–9–2025–ई–1853096 दिनांक 09 मई, 2025 के अन्तर्गत प्रशासनिक पारदर्शिता तथा नगर निगम कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के लिए प्रक्रिया एवं शुल्क में एकरूपता स्थापित करने तथा सभी नगरीय निकायों में एक सुसंगत एवं मानक व्यवस्था निर्मित किये जाने के प्रयोजनार्थ उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–213 और धारा–541 के खण्ड (42) एवं (49) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **''नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025''** का प्रारूप निर्गत किया गया।

उक्त मानक नियमावली के अनुरूप नगर निगम लखनऊ हेतु प्रस्तावित **''लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025''** मा. कार्यकारिणी समिति द्वारा बैठक दिनांक 22.08.2025 में अनुमोदित कर दिया गया है। अतएव उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 542 के अनुपालन में उक्त उपविधि मा. नगर निगम लखनऊ सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही प्रस्तुत है।

25/08/25 मुख्य कर निर्धारण अधिकारी | मुख्य कर निर्धारण अधिकारी | 25/08/25 अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त

नगर निगम लखनऊ

प्रस्ताव

नगर निगम लखनऊ के गृहकर के माँग रजिस्टर में दर्ज भवन/भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाने, पंजीकृत विक्रय नामा, वसीयत, दान पत्र, हिब्बा तथा मा. न्यायालय के आदेश इत्यादि के फलस्वरूप उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 213 (ख) के अंतर्गत कार्यवाही कर नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है। मा. नगर निगम लखनऊ की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 13.09.2024 में पारित संकल्प संख्या 188 के क्रम में नाम परिवर्तन की कार्यवाही तथा शुल्क को निर्धारित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 540, 541 के अंतर्गत **'लखनऊ नगर निगम (नाम परिवर्तन प्रक्रिया व शुल्क का निर्धारण) उपविधि 2024'** का आलेख प्रस्तावित किया गया था।

इसी अवधि में प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन, नगर विकास विभाग, अनुभाग–9, लखनऊ के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 925/नौ–9–2025–ई–1853096 दिनांक 09 मई, 2025 के अन्तर्गत प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जन सामान्य हेतु व्यवस्था की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के लिए प्रक्रिया एवं शुल्क में एकरूपता स्थापित करने तथा सभी नगरीय निकायों में एक सुसंगत एवं मानक व्यवस्था निर्मित किये जाने के प्रयोजनार्थ उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–213 और धारा–541 के खण्ड (42) एवं (49) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **''नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025''** का प्रारूप निर्गत दिया गया।

उक्त प्रारूप संलग्न करते हुए निकाय के अनुमोदनोपरान्त लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त नियमावली का प्रारूप निम्नानुसार है:–

लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	(1) यह उपविधि लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2025 कही जायेगी। (2) यह नगर निगम लखनऊ में लागू होगी। (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएँ	2	(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में– (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है। (ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो खतौनी में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो। (ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा–207 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

		(घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा– 213 के अधीन कर निर्धारण सूची ने संशोधन और परिवर्तन से है। (ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है। (च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर निगम सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से है। (2) इस उपविधिमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।
निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण	3	(1) अधिनियम, 1959 की धारा 210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा– 213 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा। (2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जाएगा। (3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा– (एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा, (दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा, (तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा, (चार) पंजीकृत दान–पत्र द्वारा, (पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा। (ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी– (एक) नगर निगम सीमा में सम्मिलित ग्रामों की आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति, (दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति, (4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा। (ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किए गए सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी। (5) भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।
सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया	4	(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नव निर्माण या पुनर्निनिर्माण होने पर हितबद्ध पक्ष निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्व कर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की

धनराशि नगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त या **उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इसकी जांच कराकर सत्यापन पश्चात** निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वः कर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जाएँगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र–1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के **स्वामित्व/धारणाधिकार के वैध** हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर निगम की वेब साइट पर प्रपत्र–2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आनलाइन आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रू. 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को ऑनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को अपलोड करेगा–

क्र सं	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख व दानपत्र के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ–पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय–विलेख या दानपत्र/विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	–	✓	–
5	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	–	–
6	मृत्यु प्रमाण–पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	–	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0,	–	–	✓

			पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)			
		8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	–
		9	पूर्व में जारी नामान्तरण–पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् **रू. 200.00 प्रतिमाह बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।**

(घ) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम–6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जाएगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संबंध में प्रारूप–3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की **नोटिस सम्पत्ति से स्वत्व** रखने वाले सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जाएगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी। **नोटिस प्राप्ति का साक्ष्य अनुरक्षित रखा जायेगा।**

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। समाचार–पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी लागत पर नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियमसम्मत पाए जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाएगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत

		अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण–दोष के आधार पर उनका निस्तारण करेगा और समुचित आदेश पारित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा। (झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का आनलाइन निस्तारण किया जाएगा। (3) इस उपविधि में समस्त प्राविधानों के होते हुए भी निस्तारण हेतु उत्तरदायी नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यदि आवश्यक समझता है तो हितबद्ध पक्ष से 4(2) में उल्लिखित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य/अभिलेख जो निस्तारण हेतु आवश्यक हो मांगा जा सकता है और हितबद्ध पक्ष द्वारा उक्त साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। (4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।
हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता	5	(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त को देंगे। (2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, नगर आयुक्त को मृतक की मृत्यु के छ माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा। (3) ज्यों ही नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आए, इस उपविधिके प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा। (4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस संबंध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जबतक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता। (5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। (6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

<table>
<tr>
<td>निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना</td>
<td>6</td>
<td>
(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधिके अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा। प्रभारों की अधिकतम दरें निम्नवत् होंगी–
(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी, रक्त संबंध, पारिवारिक समझौते, बंटवारा या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरे निम्नवत् होगी :–
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)</th><th>प्रभार की धनराशि (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1000 तक</td><td>1000/–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1001–2000 तक</td><td>2000/–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2001–3000 तक</td><td>3000/–</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3000 से अधिक</td><td>5000/–</td></tr>
</table>
(ख) नियम–3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी–
<table>
<tr><th>सम्पत्ति का मूल्य</th><th>प्रभार की धनराशि (रूपये में</th></tr>
<tr><td>रू. 5.00 लाख तक</td><td>3500/–</td></tr>
<tr><td>रू. 5.00 लाख से
रू. 10.00 लाख तक</td><td>5500/–</td></tr>
<tr><td>रू. 10.00 लाख से
रू. 20.00 लाख तक</td><td>7500/–</td></tr>
<tr><td>रू. 20.00 लाख से
रू. 30.00 लाख तक</td><td>9500/–</td></tr>
<tr><td>रू. 50.00 लाख से ऊपर</td><td>10000/–</td></tr>
</table>
(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।
(3) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम–(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा।
(4) यदि उस सम्पत्ति के संबंध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जाएगा।
</td>
</tr>
<tr>
<td>आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण</td>
<td>7</td>
<td>जहाँ नगर आयुक्त स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे, से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>अपील</td>
<td>8</td>
<td>नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से</td>
</tr>
</table>

		तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा– 472 के अधीन अपील कर सकता है।

उपरोक्त नियमावली के प्रस्ताव में नगर निगम लखनऊ में पूर्व प्रचलित शुल्क यथा पारिवारिक/रक्त संबंधी प्रकरणो में संशोधन उपरांत 5000 के स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर क्रमशः 1000, 2000, 3000 व 5000 किया गया है तथा विक्रय विलेख के आधार पर शुल्क यथावत् है।

उपरोक्तानुसार **''लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025''** का प्रारूप मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारोपरांत स्वीकृति पश्चात मा. सदन के अनुमोदनार्थ अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत है।

20/08/25 20/08/25

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी   मुख्य कर निर्धारण अधिकारी   अपर नगर आयुक्त

20.08.25

प्रपत्र– 1

(नियम– 4 (1ख) देखें)

भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी सूचना–प्रपत्र

1. भवन स्वामी/अध्यासी का नाम –
2. भवन संख्या/आई0डी0 सहित भवन की अवस्थिति –
3. भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य –
4. सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं0 –
5. पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षत्रफल –
6. नव–निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल –
7. नव–निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि –
8. अध्यासन की तिथि –
9. अन्य विवरण– यदि कोई हो।

स्थान–

दिनांक–

हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

पता–

मोबाइल नं0–

प्रपत्र– 2
(नियम– 4(2) देखें)
निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पितृ नाम और पता – ....

2. सम्पत्ति का विवरण – ....

(1) विक्रय और दान आदि के मामलों में – ....

(क) सम्पत्ति संख्या/आई0डी0 और वर्तमान स्वामी का नाम ....

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल ....

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य ....

(घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता ....

(ङ) हस्तान्तरण के प्रकृति– बिक्री/दान ....

(च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि ....

(छ) कोई अन्य विवरण ....

(2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में – ....

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम ....

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल ....

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य ....

(घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित), पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है। ....

(ङ) आवेदक का मृतक से संबंध ....

(च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश ....

(छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि) ....

(ज) कोई अन्य विवरण ....

(3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में– ....

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम ....

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल ....

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य ....

(घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण ....

(ङ) भ्रान्त कथन, त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य ....

(च) कोई अन्य विवरण ....

टिप्पणी– उप क्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3.आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण–

4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण–

(1) (2) (3) (4)

प्रपत्र– 3
(नियम– 4 (2घ) देखें)
नोटिस

श्री / श्रीमती ....पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री / श्रीमती .... निवासी .... का नाम नगर निगम .... की कर निर्धारण सूची में अंकित है।

2. (1) श्री / श्रीमती........................पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती ....निवासी...................... द्वारा इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि श्री / श्रीमती ....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती.............. .... की मृत्यु दिनांक..................को हो गई है वह / वे उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं और साक्ष्य रूप में .... प्रस्तुत किया गया है।

(2) उनके द्वारा अपना नाम प्रविष्ट कर निर्धारण सूची को संशोधित / परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

3. यदि किसी व्यक्ति / व्यक्तियों को उपरोक्त के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो वह / वे अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशित / प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर नगर निगम के जोन संख्या.................. के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता / सकती है। उक्त तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक / आवेदकों का नाम सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा और कोई पश्चात वर्ती दावा, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

सम्पत्ति का विवरण–

सम्पत्ति आई0डी0	सम्पत्ति संख्या	अवस्थिति

जारी करने की तिथि

मुहर

हस्ताक्षर
जारी करने वाले अधिकारी का
नाम पदनाम सहित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ–

1. समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
2. आवेदक का नाम

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

अपर नगर आयुक्त

नगर आयुक्त